5-2-25

पत्रावली आज पेश हुयी। प्रार्थी वकील
उपस्थित। अप्रार्थीगण 4 की तरफ से
वकील उपस्थित व अप्रार्थीगण 4 की
ओर से जवाब पेश किया व उसकी
प्रति प्रार्थी वकील को दिलवायी जाकर
शामिल पत्रावली किया गया। अत:
अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि
ख०नं० 1211
प्रार्थिया रमेशी देवी के
रकबा 1.61 है० में से हिस्सा 100/161
भाग का क्रय किया गया था जिसके
अनुसार खसरा नं० 1211 में हिस्सा
100/161 जमाबंदी बाकिशाम A में
दर्ज है। इसी ख०नं० 1211 में लालूराम
पुत्र जमना का हिस्सा 61/322 व
सीताराम पुत्र जमना का हिस्सा 61/322
खाता संख्या 651 कुल रकबा 1.61है०
में सहखातेदारी दर्ज है। तथा प्रार्थी
द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते समय
सह-खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाये
जाने के कारण प्रार्थना पत्र में पक्षकारों
का असंयोजन। कुसंयोजन होने के कारण
आवेदक का प्रार्थना पत्र 251 A खारिज
किये जाने योग्य है। अत: प्रस्तुत जवाब
में बताया गया कि सहखातेदारों की
भूमि का विधिवत तकासमा हुए बिना
आवेदक किसी प्रकार का कोई नवीन
रास्ता कायम नहीं करवा सकता है
क्योंकि आवेदक द्वारा सहखातेदारों को
पक्षकार नहीं बनाया गया है। सहखातेदारों
का भी उक्त भूमि के प्रत्येक इंच पर
हिस्सा है तथा आवेदिका का भी

उपखण्ड अधिकारी
चौथ का बरवाड़ा

द्वारा क्रय की गई भूमि में आने-जाने का रास्ता शुरू से ही आ रहा रास्ता जो प्रा.प. के पिछे रेलवे लाईन की तरफ से जाना बताया है।

तहसीलदार से प्रकरण के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त जो शामिल मिसल किया गया। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट एवं प्रार्थीयां द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता में भिन्नता है एवं तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार लघुतम रास्ता बताया जिसमें प्रार्थीयां द्वारा सम्बन्धित खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया।

दोनों पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी। अप्रार्थी अधिवक्ता ने बताया की Joint Tenency में खातेदारों को पक्षकारान या उनकी बिना सहमति के कोई रास्ता अप्रार्थीयों की भूमि में से नहीं दिया जा सकता। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में विधिवत तकासमा करवाये जाने के उपरान्त रास्ते के लिये आवेदन किया जा सकता है।

पत्रावली के बाद अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन व बहस उस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह स्पष्ट है प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बैंक रहन के बावजूद बैंक को पक्षकार नहीं बनाया गया। एवं सहखातेदारो को भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 A के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में सहखातेदार को बिना पक्षकार बनाये एवं धारा 53 में बिना विभाजन

उपखण्ड अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामीर मे जारी हुए
	तकासमा करवाये एवं बिना लघुतम दूरी की जांच किये बिना ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु औचित्य प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थियां का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है एवं पत्रावली फैसल में शुमार हो नम्बर से कम किया जाकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 5-01-24 को सरे इजलास सुनाया गया। [signature] उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा	